

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी

प्रशासन-प्रयागराज।

पत्रांक: 342 /सा0प्र0/गति सीमा/निबंधन/प्रयागराज/2020 दिनांक: 18 जून, 2020

अधिसूचना

चूंकि केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा-112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।

और जहां उक्त अधिनियम की धारा-112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली-1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-1377 दिनांक-06-04-2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या- 59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम-178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रयागराज जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गों या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है :-

क्र० सं०	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहां से कहां तक) जहां गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			दू व्हीलर/थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यान	समस्त मालयान एवं स्तंभ 4.5 एवं 6 को छोड़ कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
1.	दिधिया चौकी मार्ग	दिधिया चौकी मार्ग	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
2.	खाई भगनपुर मार्ग	खाई भगनपुर मार्ग	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
3.	करछना-रामपुर मार्ग	करछना-पचदेवरा डीहा रामपुर उपरहार मार्ग	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
4	ऊचडीह से मदरा मुकुंदपुर मार्ग	ऊचडीह से मदरा मुकुंदपुर मार्ग	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा

5.	इन्दलपुर मार्ग	इन्दलपुर मार्ग	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
6.	मेजा-उरुवा ऊचडीह	मेजा-उरुवा ऊचडीह मार्ग	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
7.			40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
8.	एस०एम०के०मार्ग से लूतरखौर लक्ष्मण पुरा	एस०एम०के०मार्ग से लूतरखौर लक्ष्मण का पुरा	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
9.	मेजा से पालपट्टी मार्ग	मेजा से कोहड़ारघाट खीरी मार्ग पर लालतारा सुजनी बिसौरा पालपट्टी मार्ग	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
10	करछना-जारी मार्ग	करछना से जारी मार्ग	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
11	दोहता हाटा लालगंज मार्ग	छोहाता हाटा से लालगंज	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
12	बड़ोखर रत्यौरा महुआंव मार्ग	बड़ोखर रत्यौरा महुआंव	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
13	मेजा माण्डा मार्ग	मेजा से माण्डा तक	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
14	माण्डा-लालगंज मार्ग	माण्डा से लालगंज	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
15	लालतारा-लालपट्टी मार्ग	लालतारा से लालपट्टी	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
16	मेजा स्टेशन से रामनगर	मेजा स्टेशन से रामनगर	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
17	छिवकी से करमा, कौंधियारा मार्ग	छिवकी रेलवे स्टेशन से करमा, कौंधियारा मार्ग	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
18	मन्सूराबाद-आनापुर मार्ग	मन्सूराबाद-आनापुर मार्ग	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
19	सोरांव से होलागढ़	सोरांव से होलागढ़	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
20	झलवा से भगवतपुर मार्ग	झलवा से भगवतपुर मार्ग	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
21	मखरूपुर से भगवतपुर मार्ग	मखरूपुर से भगवतपुर मार्ग	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
22	कौड़िहार से हथिगहां मार्ग	कौड़िहार से हथिगहां मार्ग	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
23	नवाबगंज से कौड़िहार	नवाबगंज से कौड़िहार मार्ग	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
24	जी०टी०रोड मन्दरमोड़ से अहमदपुर पावन केशवपुर मार्ग	जी०टी०रोड मन्दरमोड़ से इब्राहीमपुर बम्हरौली-अहमदपुर पावन केशवपुर मार्ग	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
25	जी०टी०रोड से दुल्हापुर-लालाबाजार	जी०टी०रोड से दुल्हापुर-लालाबाजार	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा

26	धूरपुर-प्रतापपुर मार्ग	धूरपुर-प्रतापपुर मार्ग	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
27	उग्रसेनपुर-प्रतापपुर मार्ग	उग्रसेनपुर-प्रतापपुर मार्ग	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
28	फूलपुर हनुमानगंज	फूलपुर-हनुमानगंज मार्ग	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
29	करछना-जारी मार्ग	करछना-जारी मार्ग	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
30	करछना-गौहनिया मार्ग	करछना-गौहनिया मार्ग	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
31	बारा-लालापुर मार्ग	बारा-लालापुर मार्ग	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
32	जसरा-चिल्ला गौहानी मार्ग	जसरा से चिल्ला गौहानी मार्ग	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
33	शंकरगंढ बाजार मार्ग	शंकरगंढ बाजार मार्ग	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
34	सैदाबाद-सिरसा मार्ग	सैदाबाद-सिरसा मार्ग	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
35	झूंसी-गारा-सिकन्दरापुर मार्ग	झूंसी-गारा-सिकन्दरापुर मार्ग	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
36	फूलपुर-मुबारकपुर मार्ग	फूलपुर से मुबारकपुर मार्ग	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
37	आगरा पट्टी-मुबारकपुर मार्ग	आगरा पट्टी से मुबारकपुर मार्ग	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
38	मऊआइमा से जाजापुर बेलखरिया मार्ग	मऊआइमा से जाजापुर बेलखरिया मार्ग	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
39	सोरांव-कल्यानपुर मार्ग	सोरांव से कल्यानपुर मार्ग	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
40	फाफामऊ-हनुमानगंज मार्ग	फाफामऊ से हनुमानगंज मार्ग	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
41	हनुमानगंज-सहसों मार्ग	हनुमानगंज से सहसों मार्ग	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा

गति संबंधी उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा-

- मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा- 116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनो छोर-प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह-जगह पर आई०आर०सी० कोड के मानक अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिये रेट्रो-रिफ्लेक्टिव पेण्ट का प्रयोग किया जायेगा।
- उक्त प्रतिबंध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा-

अ) अग्नि शमन वाहन

ब) एम्बुलेंस ।

स) पुलिस वाहन ।

द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन ।

य) प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिये प्रयुक्त वाहन ।

उपरोक्त तालिका के कॉलम- 3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गों के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा- 112 की उप धारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377, दिनांक- 06-04-2018, समय-समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी ।

आज्ञा से,

डा० सियाराम वर्मा

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी /
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद-प्रयागराज ।

पृ०सं०- स०सु० / 2020 समदिनांकित-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

- 1- परिवहन आयुक्त, उ०प्र० ।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), यातायात निदेशालय, उ०प्र० ।
- 3- जिला अधिकारी महोदय, प्रयागराज ।
- 4- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, प्रयागराज ।
- 5-निदेशक, छपाई एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें ।
- 6- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने से संबंधित मार्गों पर निर्धारित गति सीमा के संबंध में स्पष्ट साइनबोर्ड / रेफ्लेक्टिव बोर्ड लगाने का कष्ट करें ।
- 7-परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, प्रयागराज ।
- 8-जिला सूचना अधिकारी, प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना स्थानीय समाचार पत्रों के अगले अंक में जनहित में निःशुल्क प्रकाशित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ।
- 9- सम्पादक, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, यूनाइटेड भारत, स्वतंत्र चेतना हिन्दी दैनिक समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को जनहित में अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें ।

डा० सियाराम वर्मा

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी /
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद- प्रयागराज ।